UPAG010058802026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2491 / 2026

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01906**

जाहुल मेव पुत्र जसभाव उर्फ जसल्ला उर्फ जसमाईल निवासी– बैरागी वास, थाना सीकरी, जिला भरतपुर, राजस्थान उम्र करीब 40 वर्ष

..... अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 346 / 2021
धाराः 174ए भा.द.स.
थाना–अछनेरा, आगरा

दिनांकः 05.06.2026

पुलिस थाना हरीपर्वत, जिला आगरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 346 / 2021 अन्तर्गत धारा– 174ए भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्त जाहुल मेव की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

समर्थन में अभियुक्त के दामाद शाहरूख खान का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई प्रार्थनापत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त को गलत रूप से नामित कर दिया गया है। अभियुक्त पर न तो नोटिस तामील कराया, न ही नोटिस चस्पा की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त द्वारा अपनी संपत्ति खुर्द बुर्द नहीं की गयी है। अभियुक्त निरन्तर अपने निवास पर रह रहा है। मुख्य प्रकरण मु0अ0सं0 02 / 2021 अन्तर्गत धारा 379 भा0दं0सं0 के प्रकरण में अभियुक्त की जमानत दिनांक 23.05.2026 को स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 08.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उप निरीक्षक अनुज बालियान थाना अछनेरा, आगरा द्वारा थाना अछनेरा आगरा पर

इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी कि दिनांक 16.08.2021 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण हरीकान्त पाठक, नरेश, शिव निवास उर्फ भुल्लन, शकील मेव, जाहुल मेव, लखन गुर्जर आदि के विरूद्ध मु0अ0सं0 02/2021 धारा 379,411 भा.द.स. में धारा 82 दं0प्र0सं0 की आदेशिकायें निर्गत की गयीं, जिसका निष्पादन गांव के चौकीदारों को बुलाकर रूबरू गवाह त्रिलोकीनाथ, नितेश पाठक, लक्कू व दीना की उपस्थिति में कराया गया। परन्तु अभियुक्तगण न तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न ही वे गिरफ्तार हो रहे हैं। अभियुक्तगण अपनी संपत्ति को खुर्द बुर्द कर रहे हैं।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना अछनेरा आगरा पर मु0अ0सं0 346/2021 अन्तर्गत धारा 174ए भा0दं0सं0 अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 174ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी आगरा के तर्क सुने एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त जाहुल मेव के मुख्य प्रकरण मु0अ0सं0 02/2021 धारा 379,411 भा0दं0सं0 थाना अछनेरा, आगरा में आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित न होने एवं न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं की अवहेलना किये जाने पर उक्त प्रकरण के विवेचक द्वारा धारा 174ए भा.द.स. के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराया गया है।

उपलब्ध प्रपत्रों से यह भी परिलक्षित होता है कि मु0अ0सं0 02/2021 धारा 379,411 भा0दं0सं0 थाना अछनेरा, आगरा के मामले में अभियुक्त की जमानत सत्र न्यायालय के स्तर से दिनांक 23.05.2026 को हो चुकी है। अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 08.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

तदैव मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों एवं विधि व्यवस्था–*सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य–2022 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी.825 में* माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **जाहुल मेव** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त **जाहुल मेव** द्वारा मु0 30,000 रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।
05.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.06 06:58:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court